रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258738 CG-DL-E-19112024-258738

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4594]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946

No. 4594]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

का.आ. 4982(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' को, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित, उस निकाय को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में 'निकाय के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

7460 GI/2024 (1)

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;
- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
- 3. यह अधिसूचना क्रमश: वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 से संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए लागू मानी जाएगी।

अनुसूची

| क्र.सं. | प्राधिकरण का नाम | पैन |
|---------|--|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार | AABAD3836H |
| 2 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी | AAAGD0034Q |
| 3 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र | AAALD1049C |
| 4 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल | AAAJC0822A |

[अधिसूचना सं. 119 /2024/फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-I (पार्ट-1)]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2024

- **S.O. 4982(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Service Authority' as specified in the Schedule to this notification, constituted by Government of Haryana for every District in the State of Haryana in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), as a 'class of body' in respect of the following specified income arising to that body, namely:—
 - (a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Services Authority for the purposes of the Legal Services Authorities Act, 1987;
 - (b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;
 - (c) Amount received under the order of the Court;
 - (d) Fee received as recruitment application fee; and
 - (e) Interest earned on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the District Legal Service Authority-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years;
 and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be applicable for assessment years 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029 relevant for financial years 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 respectively.

SCHEDULE

| S. No. | Name of Authority | PAN |
|--------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | District Legal Service Authority, Hisar | AABAD3836H |
| 2 | District Legal Service Authority, Bhiwani | AAAGD0034Q |
| 3 | District Legal Service Authority, Kurukshetra | AAALD1049C |
| 4 | District Legal Service Authority, Palwal | AAAJC0822A |

[Notification No. 119 /2024/F. No. 300196/64/2018-ITA-I (Pt.1)] ASHWANI KUMAR, Under Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258739 CG-DL-E-19112024-258739

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4595]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946

No. 4595]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

का.आ. 4983(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क ट्रस्ट' (पैन AADTN2508F)', केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अंतर्गत/द्वारा यथा अनुमोदित अनुदान या सब्सिडी या अनुदान की प्रकृति में कोई प्राप्ति;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रचलित दरों पर संग्रहित विमानन सुरक्षा शुल्क;

7461 GI/2024 (1)

- (ग) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार हेतु लाभार्थी के रूप में अनुसूचित बैंकों के पास हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अनुरक्षित यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा घटक) की जमाराशि के लिए एसक्रो खातों से अंतरित राशि; और
- (घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा शुल्क ट्रस्ट,
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा:
 - (ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
- यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029
 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 और 2029-2030 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 120 /2024/फा. सं. 300196/51/2024-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2024

- **S.O. 4983(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'National Aviation Security Fee Trust (PAN AADTN2508F), a trust established by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that trust, namely:-
 - (a) Grant or subsidy or any receipt in the nature of grant as approved by/under directions of Ministry of Civil Aviation, Government of India;
 - (b) Aviation Security Fee collected at the prevailing rates as per orders of Ministry of Civil Aviation, Government of India;
 - (c) Amount transferred from escrow accounts for deposits of the passenger service fee (security component) maintained by airport operators with the scheduled banks for Ministry of Civil Aviation, Government of India as beneficiary; and
 - (d) Interest earned on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that National Aviation Security Fee Trust,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be applicable with respect to the assessment years 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 and 2029-2030 relevant for financial years 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 and 2028-2029 respectively.

[Notification No. 120 /2024/F. No.300196/51/2024-ITA-I] ASHWANI KUMAR, Under Secy.